

राजस्थान – सरकार
शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ 4 (क्षे. का.ज.) निकाशि/2011 / 188


दिनांक 21.2.12

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिको के पत्र व्यवहार में (RVRES) का उल्लेख करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके महाविद्यालय में राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिको के सम्बन्ध में जो भी पत्र व्यवहार करें उसमें पद नाम के साथ (RVRES) का आवश्यक रूप से उल्लेख करें ।


(सुबीर कुमार)
निदेशक